25वीं वर्षगांठ समारोह अंक

राष्ट्रीय महिला आयोग

राष्ट्र महिला

@NCWIndia @NationalCommissionforWomen

www.ncw.nic.in

समाचार पत्र

खंड 1 संख्या 222 | जनवरी 2018

राष्ट्रीय महिला आयोग का 25वां स्थापना वर्षगांठ समारोह

राष्ट्रीय महिला आयोग की 25वीं स्थापना वर्षगांठ कार्यक्रम के अवसर पर बोलती हुई **माननीया महिला और बाल कल्याण मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी** ने उन सभी को बधाई दी जो विभिन्न समय अंतरालों में राष्ट्रीय महिला आयोग से संबद्ध रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं को न्याय देने के लिए हमें विभिन्न स्तरों पर महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु तत्काल कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने मानसिक रोग गृहों की महिलाओं की स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की और कहा कि हमें यह सोचना है कि ऐसी महिलाओं का पुनर्वास कैसे किया जाए। उनकी चिंता का दूसरा क्षेत्र जेलों में महिलाओं के बारे में था। उन्होंने कहा कि मंत्रालय जेलों का अध्ययन करेगा और मार्गनिर्देश तैयार करेगा कि कैसे महिला कैदियों के साथ विशेषकर जिन पर मुकदमा चल रहा है तथा जिनके साथ विचाराधीन कैदी की तरह व्यवहार किया जाता है, जेलों में व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की हीन स्थिति के बारे में बोला और कहा कि हमें उनका दर्जा बढ़ाने और जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कदम उठाने चाहिए। "हमें महिलाओं को ऊंचा उठाने की आवश्यकता है," उन्होंने कहा, "उन्हें सिखाइये कि धन, निर्माण कार्य क्या होता है, सड़क, स्नानागार कैसे बनाया जाता है, प्रत्येक गांव में महिलाओं की देखरेख कैसे करनी चाहिए, बाल-विवाह कैसे रोकना चाहिए और कैसे सुनिश्चित करना चाहिए कि गर्भ में ही कन्याओं का गला न घोंट दिया जाए।"

राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी 25वीं वर्षगांठ के उत्सव की समाप्ति के अवसर पर 31 जनवरी, 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक पूरा दिन का समारोह आयोजित किया। यह समारोह उद्घाटन, अंतराल और पूर्णाधिवेशन सत्रों में विभाजित था। श्रीमती मेनका संजय गांधी, माननीया मंत्री, महिला और बाल कल्याण मंत्रालय दोपहर बार हुए पूर्णाधिवेशन सत्र में मुख्य अतिथि थीं।

महिला और बाल विकास मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री श्री वीरेन्द्र कुमार उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि थे। अंतराल सत्रों में निम्न विषय लिए गए : घरेलू हिंसा को रोकना, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, अनिवासी भारतीय विवाह और परित्याग के मामले और एसिड हमले और बलात्कार (सर्वाइकल मुद्दे)। समाज के विभिन्न वर्गों की महिलाओं ने इन सत्रों में भाग लिया।

समारोह के भाग के रूप में विज्ञान भवन में तस्वीरों की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्ष 1992 में स्थापना से लेकर अब तक की यात्रा प्रदर्शित की गई। प्रदर्शनी में उन विभिन्न गतिविधियों को प्रदर्शित किया गया जिसमें आयोग ने महिलाओं की दशा सुधारने के लिए कार्य किया है। आयोग ने एक विशेष प्रकाशन भी जारी किया है जिसमें विभिन्न वर्गों और श्रेणियों की महिलाओं के सशक्तिकरण की गाथा को दिखाया गया है। प्रकाशन को श्रीमती मेनका संजय गांधी ने जारी किया।

श्रीमती मेनका संजय गांधी ने कहा कि आयोग को प्रत्येक महिला की समस्या को देखना चाहिए और आगे कहा कि इसे हर मामले से ताकत हासिल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और राज्य महिला आयोगों के लिए यह संभव होना चाहिए कि वे सरकारी मशीनरी की सहायता से हर सप्ताह कम से कम 15 मामलों को सुलझाए। उन्होंने आगे कहा कि हमें आयोग को मजबूत, सख्त और ऐसा वातावरण सृजित करने में समर्थ बनाना चाहिए जहां महिलाओं के साथ बराबरी का व्यवहार हो। उन्होंने कहा कि आयोग केवल तभी सफल रह सकता है जब महिलाएं इसकी सहभागी बनें।

माननीय राज्य मंत्री, महिला और बाल विकास मंत्रालय, श्री वीरेन्द्र कुमार ने यह विचार व्यक्त किया कि "भारतीय इतिहास में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। राष्ट्र की प्रगति में महिलाएं अहम भूमिका निभाती हैं। निर्धनता और असमानता दूर करने और महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रगति लाने के लिए सरकार सब कुछ करने के लिए तैयार है," मंत्रीजी ने आश्वासन दिया। उन्होंने ऐसी अनेक गतिविधियां गिनाईं जहां आयोग महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाने में सफल रहा है।

श्री राकेश श्रीवास्तव, सचिव, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा, "यह संतोष की बात है कि महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए आयोग द्वारा किए जा रहे विभिन्न उपाय सफल हो रहे हैं, उन्होंने आगे कहा कि आयोग की सिफारिशों को कानून की किताबों में दर्ज किया गया है। आयोग ने अनुसंधान और नीति के क्षेत्रों में प्रशंसनीय कार्य किया है," श्रीवास्तव ने कहा।

31.1.2018 को अंतराल सत्र

➲ घरेलू हिंसा की रोकथाम

चर्चा का विषय : चर्चा का मुख्य विषय यह था कि घरेलू हिंसा के पीछे क्या कारण हैं और हम इसे कैसे रोक सकते हैं?

नामिका सदस्यों का यह विचार था कि घरेलू हिंसा प्रत्येक विवाहित महिला के लिए वास्तविकता है और चूंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान है इसलिए महिलाओं के अधिकारों से समझौता कर लिया जाता है। हमें इसके विरुद्ध बोलने की जरूरत है और आज क्रांति के युग में पुरुषों को भी इसमें शामिल होना पड़ेगा। उन्होंने श्रोताओं को विनम्रता से कहा कि शिक्षा किसी तरह की हिंसा को रोक सकती है।

ग्रहण योग्य : घरेलू हिंसा ने हमारे समाज को घेरा हुआ है। महिलाओं को समस्याओं को बने नहीं रहना देना चाहिए। उन्हें छोटे कदम उठाने चाहिए ताकि अंत में वे निर्णय लेने में सक्षम हो सकें।

➲ कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

चर्चा का विषय : केंद्र बिंदु यह था कि महिलाओं के लिए कार्यस्थल को कैसे सुरक्षित, सही और पक्षपात रहित बनाया जाये। महिलाओं को भी अत्याचार और बदनामी का सामना करना पड़ता है। नामिका सदस्यों ने यह राय दी कि नौकरी पर रखा जाना योग्यता पर आधारित होना चाहिए न कि लिंग अथवा धर्म पर। इसके साथ काम के वातावरण में बदलाव की आवश्यकता है जिससे महिलाओं को काम में प्रतिष्ठित स्थान मिल सके। नामिका ने अंत में कहा कि उत्पीड़न महिला के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है।

ग्रहण योग्य : परिवर्तन केवल तभी लाया जा सकता है जब आत्मविश्वास पैदा किया जाए, आत्म जागरुकता को बढ़ावा दिया जाए और ऐसा सिस्टम लाया जाए जहां महिलाएं जाकर शिकायतें दर्ज करा सकें, परन्तु सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं को उनकी आवाज़ मिल सके। हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि महिलाएं अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठा सकती हैं। वे ऐसा क्यों सोचती हैं कि इस परेशानी से कुछ नहीं मिलेगा? कानून की भावना को समझा जाना चाहिए और उस पर कार्य किया जाना चाहिए।

➲ अनिवासी भारतीयों के विवाह और परित्याग के मुद्दे

चर्चा का विषय : मुद्दे को निबटाने के लिए कानून के वर्तमान ढांचे का पर्याप्त न होना और अलग से भारतीय कानून बनाने और इसे विदेशी न्याय अधिकार क्षेत्र में लागू करने की आवश्यकता।

ग्रहण योग्य : नामिका सदस्यों ने कुछ उपाय सुझाए जैसे अनिवासी भारतीयों द्वारा धोखाधड़ी से विवाह करने के लिए धारा 376 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया जाना; पारस्परिक समझौतों को मजबूत बनाना और भारतीय न्यायालयों के आदेशों/निर्णयों को विदेशों में मान्यता देना और विदेशी न्यायालयों के निर्णयों को भारत में मान्यता देने के लिए द्विपक्षीय संधियां करना। दोषी अनिवासी भारतीय दूल्हों के पासपोर्ट जब्त/रद्द करने और लंबित जांच के लिए एसओपी बनाया जाना।

➲ एसिड हमला और बलात्कार (सर्वाइकल मुद्दे)

चर्चा का विषय : पूरे देश में समान मुआवजे और पुनर्वास पैकेज की आवश्यकता और प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए वर्तमान निवारण तंत्र की प्रभावशीलता की जांच करना।

ग्रहण योग्य : नामिका सदस्यों ने गहराई से महसूस किया कि यह सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों को एक निदेश जारी किया जाए कि अस्पताल पीड़ितों का राज्य के खर्चे पर इलाज करें। उपचारात्मक सर्जरी भी राज्य के खर्चे पर विशिष्ट अस्पतालों में होनी चाहिए। एसिड हमलों के मामलों में मुकदमा और सजा देने पर नियमित रूप से निगरानी रखी जानी चाहिए। धारा 326क और 326ख को मिला देने की भी वकालत की गई।

राष्ट्रीय महिला आयोग की 25वीं स्थापना वर्षगांठ के अवसर पर अभिनेत्री दिव्या दत्ता: *"उनके लिए जिन्हें जीवन में चुनाव करने का अधिकार नहीं मिलता है, यहां हम सबको उनकी आवाज़ बननी चाहिए जो अपने लिए नहीं बोल सकती हैं। एकता की ताकत तब आती है जब महिलाएं किसी उद्देश्य के लिए एक होती हैं।"*

राष्ट्रीय महिला आयोग की 25वीं स्थापना वर्षगांठ के अवसर पर अभिनेत्री/गायिका सलमा आगा: *"हम सभी महिला सशक्तिकरण, मानवता, शान्ति और न्याय के प्रेमी हैं। भारत में महिलाओं के लिए अद्वितीय उत्साह, प्रेम और आदर है।"*

सेमिनार

भारत में एसिड हमलों की रोकथाम: सामाजिक-कानूनी पहलू

"भारत में एसिड हमलों की रोकथाम: सामाजिक-कानूनी पहलू" पर एक राष्ट्रीय सेमिनार राष्ट्रीय महिला आयोग और विधि संकाय, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली द्वारा 24 जनवरी, 2018 को आयोजित किया गया। चर्चा की रूपरेखा तीन तकनीकी सत्रों में बांटी गई जिनमें एसिड हमलों के मनोवैज्ञानिक-सामाजिक पहलू, एसिड हमलों के लिए वर्तमान सामाजिक-विधि ढांचा और एसिड हमलों की रोकथाम पर लिए गए थे।

सेमिनार से निकले निष्कर्ष और सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

- एसिड हमला एक अपराध है जो केवल महिलाओं के मामले में ही नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि पुरुष पीड़ितों की संख्या भी धीमी गति से बढ़ रही है।
- एसिड की आसानी के साथ उपलब्धता पर रोक लगाई जानी चाहिए और अपर्याप्त निवारक कार्यवाही को सख्त बनाया जाना चाहिए और पीड़ितों की पुनर्वास सुविधाओं तक पहुंच में तेजी लाई जानी चाहिए।
- लक्ष्मी के मामले में उच्चतम न्यायालय के निदेशों के बाद केन्द्रीय सरकार ने एसिड की बिक्री को विनियमित करने और उस पर निगरानी रखने के लिए सभी राज्यों को मार्गनिर्देश जारी किए हैं। नामिका सदस्यों ने राय दी कि जबकि प्रगति तो दिखाई देती है पर अभी और अधिक करने की आवश्यकता है।
- नामिका सदस्यों ने राय दी कि इस अपराध के लिए दंड देने से संबंधित वर्तमान कानूनी प्रावधानों को सख्त बनाकर ही एसिड हमलों को रोका जाना सुनिश्चित हो सकेगा। किसी दूसरे के शरीर पर एसिड फेंकने के काम का आशय उसे कुरूप करना, अंग भंग करना, यातना देना अथवा मार देना है। यह महसूस किया गया कि अलग-अलग धारा 326क और 326ख को समाप्त कर दिया जाए और सभी एसिड हमलों अथवा एसिड फेंकने के प्रयासों को बराबरी के आधार पर लिया जाए। ऐसा करने से भावी एसिड फेंकने वालों पर रोक लगेगी।
- इसके अतिरिक्त, एसिड हमले के लिए दिये जाने वाले अधिकतम दंड को बलात्कार/सामूहिक बलात्कार के लिए दिए जाने वाले दंड के बराबर किया जाना चाहिए यथा आजीवन कारावास अर्थात् उस व्यक्ति के शेष स्वाभाविक जीवन तक।
- संबंधित पुलिस प्राधिकारियों द्वारा समयबद्ध उचित जांच करने और कोर्ट में अभियोग पत्र दायर करने और कोर्ट द्वारा मामलों का समय पर निपटान करने की आवश्यकता है।
- पुलिस को संवेदनशील बनाया जाना जरूरी है कि कैसे एसिड हमलों के मामलों को निबटाया जाना चाहिए। यदि विशेष न्यायालय की आवश्यकता होती है तो इस कार्य को मंजूरी दी जानी चाहिए और उसे स्थापित किया जाना चाहिए।
- मुआवजे का भुगतान यथासंभव शीघ्र करना चाहिए।
- एसिड हमले के पीड़ितों का इलाज निजी अस्पतालों द्वारा करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों के बावजूद, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि निजी अस्पताल इंकार कर देते हैं।

उच्च शिक्षा में अधिक संख्या में महिलाएं

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार, उच्च शिक्षा की संस्थाओं में गत पांच वर्षों के दौरान लड़का-लड़की विद्यार्थियों का अंतर 9 लाख तक कम हो गया है। 2016-17 के शिक्षा सत्र में आठ शैक्षणिक विषयों में लड़की विद्यार्थियों की संख्या लड़कों से अधिक हो गई है। यह पाया गया कि मास्टर ऑफ आर्ट्स में प्रत्येक 100 पुरुषों की तुलना में 160 महिलाएं हैं और बेचलर ऑफ साइंस (नर्सिंग) में प्रत्येक 100 पुरुषों की तुलना में 384 महिलाएं हैं।

2016-17 के शिक्षा सत्र के अंत तक दाखिला 3,57,05,905 है और सकल दाखिला अनुपात (जीईआर) 25.2 प्रतिशत है। सकल दाखिला अनुपात 18 से 23 वर्ष की आयु समूह में कुल जनसंख्या में से उच्च शिक्षा संस्थाओं में दाखिला लिए गए विद्यार्थियों की संख्या से गिना जाता है। भारत ने वर्ष 2020 तक 30 प्रतिशत सकल दाखिला अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।

तथापि, 11 राज्यों में भारत में कुल 864 विश्वविद्यालयों में से विशेष रूप से महिलाओं के लिए केवल 15 विश्वविद्यालय हैं। ■

प्रादेशिक सेना में महिलाओं की भर्ती

महिलाओं को अब प्रादेशिक सेना में सेवा करने की अनुमति दी गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रादेशिक सेना में महिलाओं की भर्ती पर 70 वर्ष पुरानी लगी रोक 5 जनवरी, 2018 को रद्द करके हटा दिया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्र के उन विज्ञापनों को हटा दिया है जिसमें भर्ती से महिलाओं को बाहर किया हुआ था। उसने यह निर्णय दिया कि ये विज्ञापन मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायाधीश सी. हरी शंकर वाली बेंच ने कहा कि विज्ञापनों में दिए गए महिलाओं की भर्ती पर रोक "न उचित है और न तर्कसंगत है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।" आगे स्पष्ट करते हुए बेंच ने कहा कि "प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 की धारा 6 में उल्लिखित शब्द 'कोई भी व्यक्ति' में पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं।" ■

युवा लड़कियों को प्रेरित करने के लिए कश्मीर में भारतीय खेल प्राधिकरण का केन्द्र

अफशान आशिक, जम्मू और कश्मीर की महिला फुटबाल टीम की कैप्टन, ने हाल में केन्द्रीय सरकार को युवा लड़कियों को खेलों को अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु कश्मीर में भारतीय खेल प्राधिकरण का केन्द्र स्थापित करने के लिए सहायता देने को कहा है। वह मामले पर आगे कार्यवाही करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ से मिली। इसके बाद राज्य सरकार ने हस्तक्षेप किया और महिला फुटबाल को बढ़ावा देने के लिए खेल बुनियादी ढांचे में सुधार करने का आश्वासन दिया।

मंत्रालय श्रीनगर में आधुनिकतम तकनीक वाला एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने पर विचार कर रहा है। केन्द्र को भारतीय खेल प्राधिकरण चलाएगा और इसे पटियाला में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की तर्ज पर 100 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ चलाने पर विचार किया जा रहा है। एथलीटों के लिए प्रशिक्षण अकादमी आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस होगी और इसमें 'इंडोर' और 'आउटडोर' खेल गतिविधियों की सुविधाएं होंगी।

यह केन्द्र ओलंपिक और गैर-ओलंपिक खेलों में प्रशिक्षण देगा और स्थानीय प्रशिक्षकों को भी नियुक्त करेगा जो घाटी के युवाओं में शांति और खेल का संदेश देंगे। केन्द्रीय सरकार ने राज्य में खेल बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए एक विशेष पैकेज के रूप में पहले ही 200 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। ■

सांख्यिकी ब्यौरा :
महिला साक्षरता दर में सुधार

महिला साक्षरता दर उन राज्यों में बेहतर सुधार को दर्शाती है जहां महिलाओं की साक्षरता दर 50 प्रतिशत से कम थी। यह सुधार देश में महिला बराबरी के बदलते परिवेश को दिखाता है।

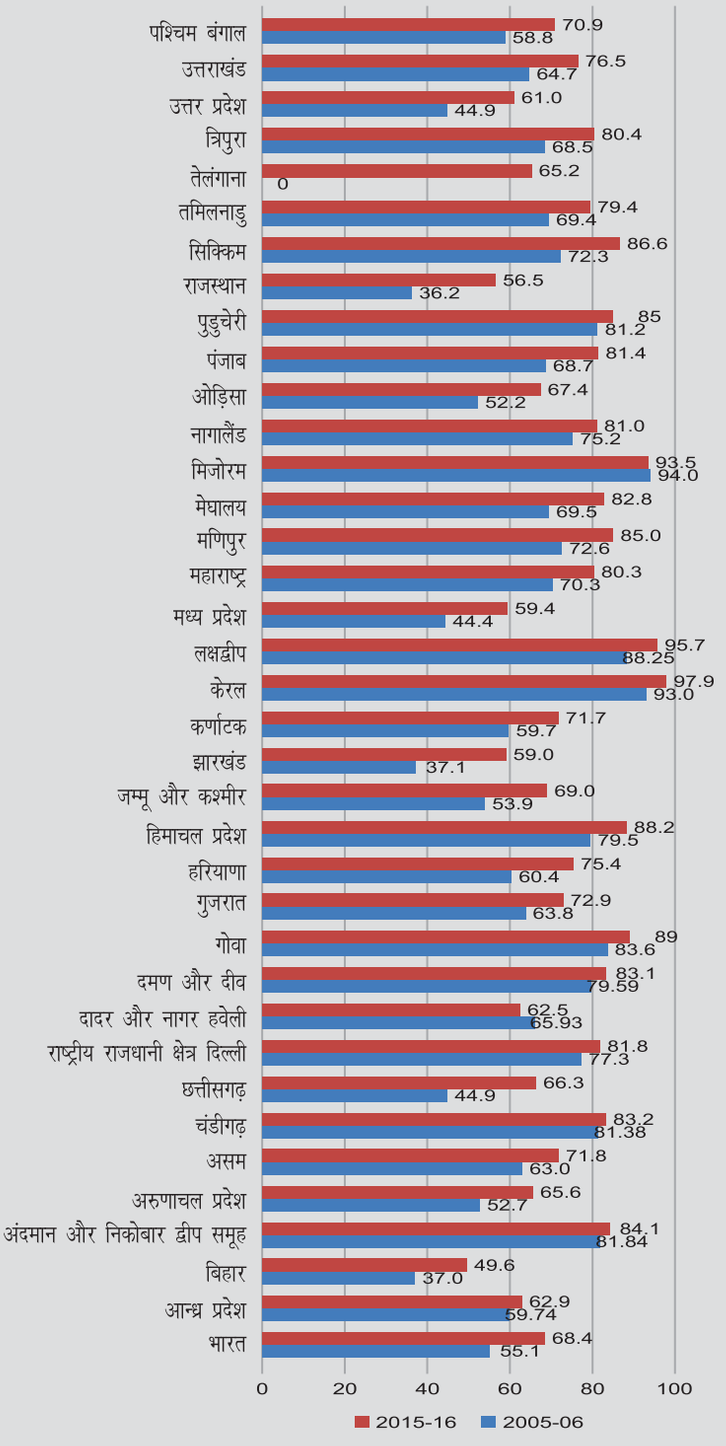

स्रोत : भारत की जनगणना 2011 और एनएफएचएस-4

बिहार में 'कौशल विकास योजना' परियोजना

सदस्या सुषमा साहू प्रधानमंत्री द्वारा जुलाई, 2015 में आरम्भ किए गए कौशल विकास मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत – "प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत विशेष प्रोजेक्ट" आरम्भ करने के लिए पटना, बिहार गईं। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य बेहतर रोजगार प्राप्त करने के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना है।

यह समारोह डॉ. प्रभात रंजन डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर द्वारा 28 जनवरी, 2018 को विद्यापति भवन, पटना, बिहार में आयोजित किया गया था। पूर्व केन्द्रीय मंत्री और संसद सदस्य श्री राजीव प्रताप रूडी ने स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडेय, बिहार; विपत्ति प्रबंधन मंत्री श्री दिनेश यादव और मेयर सुश्री सीता साहू और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति में कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

दिल्ली में जन-सुनवाई

- राष्ट्रीय महिला आयोग ने 16 जनवरी, 2018 को उत्तर पश्चिम जिला, दिल्ली में एक 'महिला जन-सुनवाई' आयोजित की। सदस्या सुषमा साहू राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम के साथ सुनवाई में उपस्थित हुईं जिसे जिला पुलिस और जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सहयोग से आयोजित किया गया था।
- एक दूसरी 'महिला जन-सुनवाई' राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 18 जनवरी, 2018 को मध्य जिला, दिल्ली में आयोजित की गई। सदस्य, आलोक रावत राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम के साथ सुनवाई में उपस्थित हुए जिसे जिला पुलिस और जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सहयोग से आयोजित किया गया था।

सी एण्ड आई प्रकोष्ठ से

नाराजगी में दायर शिकायत

यह एक ऐसा मामला था जहां एक शिकायतकर्ता ने नाराजगी और हताशा में ई-मेल के द्वारा एक शिकायत दायर की थी। शिकायतकर्ता ने, जो जेआईपीएमइआर (पुडुचेरी) में उसी संस्थान के एक अन्य विद्यार्थी के विरुद्ध शिकायत की जिसमें उस पर साइबर मीडिया के द्वारा यौन उत्पीड़न करने के आरोप लगाए और कहा कि आरोपी उसे अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मज़बूर कर रहा था। जब आयोग ने कार्यवाही आरम्भ की, शिकायतकर्ता ने शिकायत वापस लेने की मांग की और वह उस विद्यार्थी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती थी जिसके विरुद्ध उसने शिकायत की थी। उसने इस आधार पर शिकायत वापस ले ली कि इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। आयोग ने इस शिकायत पर कार्यवाही करना आरम्भ कर दिया था पर शिकायतकर्ता ने आयोग से असुविधा के लिए माफी मांगी।

अध्यक्षा (प्रभारी) रेखा शर्मा की कार्यक्रमों में उपस्थिति

- महिला और बाल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 'जेलों में महिलाओं की स्थिति' पर संयुक्त रूप से शास्त्री भवन में 5 जनवरी, 2018 को आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में अध्यक्षा (प्रभारी) श्रीमती रेखा शर्मा ने कहा कि जेलों में महिलाओं का दर्जा और स्थिति को सुधारने के लिए आयोग ने एक विस्तृत प्रोफार्मा तैयार किया है जो देश के 144 केन्द्रीय जेलों को भेजा गया है। ब्रीफिंग की अध्यक्षता माननीया मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी ने की थी।
- अध्यक्षा (प्रभारी) श्रीमती रेखा शर्मा 8 जनवरी, 2018 को शिरडी, महाराष्ट्र में 'मानवाधिकार उत्सव 18' में उपस्थित हुईं। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय मानव अधिकार एसोसिएशन ने राजा चन्द्र वंशी की स्मृति में किया था।

- अध्यक्षा (प्रभारी) श्रीमती रेखा शर्मा ने 27 जनवरी, 2018 को सोनीपत में महिला और बाल विकास मंत्री, हरियाणा सुश्री कविता जैन के साथ पैदल मार्च को झंडी दिखाई। हरियाणा राज्य महिला आयोग द्वारा आयोजित इस पैदल मार्च में 300 से अधिक महिलाएं शामिल हुईं।

सी एण्ड आई प्रकोष्ठ द्वारा जनवरी 2018 में प्राप्त शिकायतों की स्थिति

महीना	प्राप्त शिकायतें	बंद शिकायतें (पुरानी + नई)
जनवरी 2018	1008	987

राष्ट्रीय महिला आयोग, प्लॉट नं. 21, जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110025 द्वारा प्रकाशित। **सम्पादकः वनीता अखौरी** आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साइड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित।